



9. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों का मतदान व्यवहार और चुनाव परिणामों पर असर : एक अध्ययन

पंकज सोनी

शोधार्थी

पत्रकारिता एवं जनसंचार

जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर

डॉ. संजय कुमार श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर

पत्रकारिता एवं जनसंचार

जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर

सारांश

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां चुनाव को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। केंद्र में सरकार के गठन के लिए लोकसभा और राज्यों में सरकार के गठन के लिए विधानसभा के चुनाव हर पांच वर्ष में संपन्न कराए जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक महिला-पुरुष और थर्ड जेंडर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के तहत वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग कर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ ही विवेकशील प्राणी भी है, जिससे वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल बहुत सोच-समझ कर करता है। वहीं भारत धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समेत अनेक प्रकार की विविधाओं से परिपूर्ण एक देश है। ऐसे में यहां मतदान व्यवहार को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। कुछ कारकों का मतदान व्यवहार में कम तो कुछ कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत शोध में यह पता लगाने का कोशिश की गई है कि मतदान व्यवहार को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में मुफ्त की योजनाओं का मतदाता के मतदान व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। माडिया के द्वारा राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में किए गए वादे की प्रस्तुति का मतदाता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यह भी ज्ञात क्या जाएगा। इस शोध में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और 2017 में दो प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों का अध्ययन किया गया है। शोध परिणाम में पता चला है कि मुफ्त की योजनाएं मतदाताओं को अपनी ओर खींचती हैं जो एक पार्टी विशेष के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करती हैं। इसका असर चुनाव परिणाम में हार और जीत के रूप में सामने आता है।



मुख्य शब्द – मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव, मतदान व्यवहार, चुनावी घोषणा पत्र, घोषणा पत्रों का मीडिया कवरेज.

परिचय

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मतदान कर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। आगे चलकर यही प्रतिनिधि राज्य और केंद्र में सरकार बनाते हैं, जो सरकार देश या राज्य में शासन करती है। सरकार बनाने तक का रास्ता चुनाव और मतदान से होकर गुजरता है। ऐसे में अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार प्रतिनिधि बनता है और आगे चलकर अधिक प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसे में एक-एक वोट किसी उम्मीदवार और राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिक से अधिक वोट पाने के लिए राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और इनमें जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करते हैं। वहीं मतदाताओं के मतदान व्यवहार को जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक कारक एवं दल की राजनीतिक सक्रियता, चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे समेत कई तरह के कारक प्रभावित करते हैं। आम चुनाव और राज्यों के चुनावों के समय राजनीतिक दल चुनावी घोषणा-पत्र अलग-अलग नामों से जारी करते हैं। इस घोषणा पत्र के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी सरकार पर बनने पर अपना विजन जनता के सामने रखते हैं। इसके पीछे राजनीतिक दलों का उद्देश्य अपने लिए अधिक से अधिक वोट पाना और सत्ता हासिल करना होता है।

शोध में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि क्या वास्तव में किसी राजनीतिक दल को घोषणा पत्र चुनाव में जीत दिला सकता है? क्या मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और 2017 में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र मतदान व्यवहार को प्रभावित करने की मुख्य वजह बने? अध्ययन में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और 2017 में राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक दलों, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों को शामिल किया गया है।

शोध समस्या

अध्ययन में यह ज्ञात करने की कोशिश की गई है कि राजनीतिक दलों द्वारा जारी घोषणा-पत्र मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या मुफ्त की घोषणाएं वोटों के विचारों और निर्णयों पर सीधा प्रभाव डालती हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो गुजरते समय की परंपरा है। अगर ये मुद्दे वोटिंग प्रवाह को प्रभावित करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? क्या घोषणा पत्र चुनाव के अंतिम परिणामों में कोई विशेष बदलाव लाते हैं। क्या इनका अध्ययन कर चुनावी परिणामों को पूर्वानुमानित किया जा सकता है? शोध में इन समस्याओं का जवाब खोजने का अध्ययन किया गया है।

साहित्य समीक्षा

‘मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों का मतदान व्यवहार और चुनाव परिणामों पर असर’ विषय पर शोध को पूर्ण करने के लिए शोध विषय से संबंधित साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन



किया गया है। बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक 'आजादी के बाद का भारत' (2009) में आजादी के बाद के भारत के सामाजिक, अर्थिक और राजनीतिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पुस्तक में समकालीन भारत की समस्याओं के विश्लेषण के साथ ही आजादी के बाद कई प्रकार की समस्याओं से जूझते भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। शेल. सी. नाना ने अपनी किताब, 'स्पेशल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर इन इंडिया' (1989) में लिखा कि राजनीतिक दलों का चरित्र मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। धर्म चंद जैन ने अपनी पुस्तक 'भारतीय लोकतंत्र' (2000) में लिखा कि लोकतंत्र की सार्थकता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था पर निर्भर है। एच.आर. मुखी ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिकल साइंस' (2003) में स्पष्ट किया कि मतदान व्यवहार जाति, धर्म के अलावा अन्य कारकों से प्रभावित होता है। मनोज शर्मा ने अपनी पुस्तक 'इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स' (2004) में लिखा कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, विचारधारा और समुदाय ये महत्वपूर्ण कारक हैं, जो मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। प्रभा ठाकुर ने अपनी पुस्तक 'चुनाव घोषणा-पत्र: सिद्धांत एवं स्थिति' (2006) में लोकसभा चुनाव एवं विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले चुनावी घोषणा-पत्रों के स्वरूप, सिद्धांत एवं उनके क्रियान्वयन संबंधी अध्ययन प्रस्तुत किया है। चुन्नीलाल लालूभाई पारेख ने 'एमीनेट इंडियंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स' (2017) में भारतीयों में अपने अधिकारों एवं राजनीति के प्रति बढ़ती जागरूकता का विस्तार से वर्णन किया है। राजीव रंजन ने अपनी पुस्तक 'चुनाव, लोकसभा और राजनीति' (2000) में साल 2000 तक के लोकसभा चुनावों से संबंधित सभी आंकड़ों के साथ भारत के चुनावी इतिहास, प्रमुख राजनीतिक दलों के इतिहास, चुनावी मुद्दों, निर्वाचन क्षेत्रों के साथ ही विगत पांच दशकों के राजनीतिक घटनाक्रम का क्रमवार एवं शोधपरक वर्णन किया है।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. मध्यप्रदेश के मुख्य राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों का अध्ययन करना।
2. वोटर्स की सोच और मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुद्दों का विश्लेषण करना।
3. राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में कल्याणाकारी और लाभार्थी योजनाओं का मतदान व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता लगाना।
4. राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र चुनाव परिणाम को बदल सकते हैं या नहीं इस बात का पता लगाना।

उपकल्पना

1. राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में मुफ्त की योजनाओं के ऐलान या वादा से राजनीतिक दल को अधिक वोट मिलते हैं।
2. मीडिया जिस दल के घोषणा-पत्र में ज्यादा लाभ को दिखाते हुए समाचार प्रस्तुत करता है मतदाता उस दल को अधिक वोट देते हैं।



3. आम जनता मुख्य चुनावी मुद्दों (जैसे, बिजली, पानी, महंगाई, रोजगार) को भूलकर अधिक लाभ देने वाले दल के पक्ष में मतदान कर देती है।
4. राजनीतिक दलों के द्वारा घोषित मुफ्त योजनाएं उस दल के पक्ष में चुनावी परिणाम को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं।

शोध क्षेत्र

शोध क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश राज्य को लिया गया है। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों में की गई मुफ्त योजनाओं का मध्यप्रदेश के मतदाताओं पर क्या असर पड़ा। इन योजनाओं से किस हद तक प्रभावित होकर जनता ने मतदान किया और चुनाव परिणामों में इनकी कितना असर पड़ा। यह जानने के लिए मध्यप्रदेश के 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के मतदान व्यवहार और परिणामों को शामिल किया गया है।

शोध-प्रविधि

भारतीय चुनाव में मतदान व्यवहार को कई तरह के कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र मतदान व्यवहार को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका मतदाता से सीधा संबंध होता है। इस शोध में सामग्री अधिकांश रूप में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त की गई है। शोध में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2023 में दो प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों का अध्ययन और इसके अवयवों का मानचित्रण किया गया है। इसके आधार पर पता लगाया गया है कि चुनावी घोषणा पत्रों में किए गए वादों का असर मतदान व्यवहार और चुनावी नतीजों पर कितना पड़ा। अन्य आवश्यक शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

भारत में चुनाव प्रक्रिया और घोषणा पत्र

भारत में 1952 से आज तक जितने भी चुनाव हुए उनमें राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों का स्वरूप बदलता रहा है। 2022 में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च (सीपीपीआर) ने 1952 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई (एम) के चुनावी घोषणा पत्रों का अध्ययन किया। सीपीपीआर ने 1952 से 2019 तक के घोषणा पत्रों को चार हिस्सों में बांटकर इनका तुलनात्मक अध्ययन किया तो पाया कि 1952 से 1967 तक के राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों में सात प्रमुख मुद्दे शामिल थे। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक क्षमता, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक ताना-बाना, आर्थिक योजना, लोक कल्याण और विकास एवं बुनियादी ढांचा प्रमुख मुद्दे थे। 1967 से 1989 के घोषणा पत्रों में कांग्रेस ने विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष रूप से ध्यान दिया, वहीं सीपीएम ने राजनीतिक व्यवस्था को लक्षित किया। 1989 से 2014 के आम चुनावों में बीजेपी का घोषणा पत्र विकास कार्यों पर केंद्रित रहा और कांग्रेस का घोषणा पत्र राजनीतिक क्षमता पर आधारित रहा। 2014 से बाद से 2019 के आम



चुनाव और राज्यों के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में मुफ्त वाली कल्याणकारी योजनाएं पहले स्थान पर और विकास दूसरे स्थान पर होता है।

मतदान व्यवहार का अर्थ और परिभाषा

मतदान व्यवहार का अर्थ मतदाताओं की उस मनःस्थिति से होता है, जिससे प्रभावित होकर वह वोट करता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वह कोई भी निर्णय अपने विवेक के आधार पर, आदतों के आधार पर या फिर किसी बात से प्रभावित होकर लेता है। किसी मनुष्य के निर्णय लेने, विचार रखने और कोई बात बोलने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। पॉल लॉजरफेल्ड ने अपनी पुस्तक 'द पीपल्स च्वाइस' 1944 और कुर्त लेविन ने अपनी पुस्तक 'फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस' 1951 में मतदान व्यवहार के वैज्ञानिक पहलुओं के समझने का प्रयास किया है। पॉल लॉजरफेल्ड ने मतदान व्यवहार की तुलना ग्राहक के द्वारा सामान खरीदते समय चुनाव करने की मनोदशा से की है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स' 1970 में बताया कि भारत में मतदान व्यवहार जाति से प्रभावित है। संजय कुमार, प्रवीण राय (2013) ने अपनी पुस्तक 'मेजरमेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया' में भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ ही मतदान व्यवहार को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली कई मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का उल्लेख किया है।

मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व

भारतीय समाज की संरचना में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने के लिए मिलती हैं, इसलिए भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इन कारकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीन कारकों में बांटा जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा और मीडिया के विस्तार के चलते मतदाता को तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। यह जानकारी मतदाता के निर्णय को प्रभावित करती है। वर्तमान में भारतीय मतदाता को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं।

जाति : भारतीय समाज की संरचना में जाति महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय समाज जाति व्यवस्था के आधार पर कई वर्गों में विभाजित है। घनश्याम शाह के अनुसार, जापान में मतदान व्यवहार समूह निर्धारित है, ब्रिटेन में वर्ग निर्धारित, अमेरिका में प्रजाति निर्धारित और भारत में जाति निर्धारित है। भारत में 1990 के दशक में जातियां राजनीति में अधिक प्रभावी हो गईं, जब ओबीसी के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं। वर्तमान में राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए जातियों को संगठित करते हैं। चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा टिकट वितरण से लेकर मंत्रिमंडल के निर्माण तक जाति का फार्मुला काम करता है। मध्यप्रदेश की राजनीति में ब्राम्हण, राजपूत, लोधी, कुशवाहा और यादव जाति का प्रभुत्व है। विधानसभा की 230 में से 100 सीटों पर इन जातियों का प्रभाव है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियां 22%, अनुसूचित जन जातियां 17%, ओबीसी 51% और सवर्ण 31% हैं।



धर्म : भारत सामाजिक दृष्टि से पंथ प्रधान देश है, जबकि संवैधानिक दृष्टि से धर्म निरपेक्ष राज्य है। भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है इसलिए इसका अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन चुनावों के दौरान यहां राजनीतिक दल धर्म की राजनीति करते हैं। भारत में कोई भी चुनाव धर्म और सांप्रदायिक समीकरण के बगैर पूरा नहीं होता। देश में 1990 में राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेता लालकृष्ण आड़वाणी की रथयात्रा से धर्म की राजनीति ने जोर पकड़ा था। वहीं पिछले 10 वर्षों में राजनीति में धर्म की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आयोध्या का राम मंदिर एक अहम मुद्दा रहा। भारत में धर्म और संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दल भी बने हैं, जो धर्म विशेष के वोटों को लेकर राजनीति करते हैं। पंजाब में अकाली दल, केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, (एआईएमआईएम) महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव गुट), शिवसेना (शिंदे गुट), तमिलनाडु में मनिथानेमा मक्कल काच्ची और क्रिश्चन डेमोक्रेटिक फ्रंट ये राजनीतिक दल धर्म और संप्रदाय आधारित वोटों की राजनीति करते हैं। हालांकि मध्यप्रदेश में कोई धर्म या संप्रदाय आधारित दल सक्रिय नहीं है। यहां बीजेपी, कांग्रेस और बसपा मुख्य रूप से सक्रिय राजनीतिक दल हैं। धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण यहां भी तीनों दल करते दिखाई देते हैं।

भाषा : भारत बहुभाषी देश है। यहां राष्ट्रीय चुनावों में भाषा मतदान व्यवहार को निर्धारित करती है, लेकिन राज्य के चुनावों में इसका असर कम देखने को मिलता है। देश के अलग-अलग राज्यों में भाषाई विचार लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। इसका उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ही दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के इस्तेमाल की बात होती है तो द्रविडियन भाषाई इसका विरोध करने लगते हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषा का मुद्दा अत्यंत प्रभावी रहता है। देश की आजादी के बाद 1 अक्टूबर, 1953 को भाषायी आधार पर पहले राज्य आंध्रप्रदेश का गठन हुआ था। इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में 'राज्य पुनर्गठन आयोग' की स्थापना की गई। 1960 में महाराष्ट्र को दो भागों में बांट दिया गया। वर्ष 1966 में पंजाब का विभाजन भी दो हिस्सों में कर दिया गया। भाषा के आधार पर जैसे ही राज्य बने उसके साथ ही भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों का उदय हुआ। तमिलनाडु में डीएमके और आंध्र प्रदेश में टीडीपी जैसे दलों का उदय भाषावाद के आधार पर हुआ है।

क्षेत्रवाद और स्थानीय मुद्दे : केंद्रीय एवं राज्यों के चुनाव दोनों में क्षेत्रवाद और स्थानीय मुद्दे मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्षेत्रवाद एवं स्थानीय मुद्दे स्थानीय हितों का आग्रह करते हैं। क्षेत्रवाद ऐसा मनोभाव है, जिसमें व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रथमिकता देता है। प्रायः क्षेत्रवाद के वाहक या समर्थक क्षेत्रीय दल होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों को मिली संपन्नता के कारण देश के दूसरे राज्यों में क्षेत्रवाद की प्रकृति बढ़ रही है। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों, समस्याओं और अपने क्षेत्र के विकास की बात कर चुनाव में उतरते हैं। ऐसे में मतदाता स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर वोट करता है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सतना जिले की मैहर सीट से तत्कालीन विधायक नारायण



त्रिपाठी ने नया राजनीतिक दल 'विंध्य जनता पार्टी' बनाया। विंध्य की सभी 30 सीटों पर अलग विंध्य प्रदेश की मांग विंध्य के विकास को लेकर पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन इसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता।

तत्कालिक परिवेश एवं घटनाएं : तत्कालिक परिवेश किसी भी चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक होता है। तत्कालिक घटनाएं एकाएक मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तत्कालिक परिवेश राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ा होता है। इसके कई तरह के आयाम हो सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, कानून-व्यवस्था, धार्मिक मुद्दे, लाभ की योजनाएं, युद्ध, राष्ट्र हित के मुद्दे इसमें शामिल हैं। प्रदेश के चुनावों में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन कई बार राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रदेश के चुनावों में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये मुद्दे मतदान व्यवहार पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। 2019 में 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसका लाभ 2019 के आम चुनावों में बीजेपी को मिला और बीजेपी 303 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। जबकि 2014 के आम चुनाव में बीजेपी 282 सीटों विजयी हुई थी।

राजनीतिक दल और विचारधारा : किसी राजनीतिक दल द्वारा पोषित विचारधारा मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। भारत में विभिन्न प्रकार की विचारधारा वाले राजनीतिक दल हैं। मतदाता समाजवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, देशभक्ति एवं विकेन्द्रीकरण समेत अन्य प्रकार की विचारधाराओं से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। ये मतदाता उन्हीं दलों के उम्मीदवारों को वोट देते हैं जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं। जनता का राजनीतिक दलों के साथ निजी एवं भावनात्मक जुड़ाव होता है, जिसके आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। जो लोग किसी दल के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं वो लाख कमियों के बावजूद उस दल के उम्मीदवार को वोट देते हैं।

चुनाव प्रचार : राजनीतिक दल चुनावों में अपने प्रचार के लिए कई तरह के माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 10 वर्षों में सोशल मीडिया का चुनाव प्रचार में खूब इस्तेमाल हुआ है। बीजेपी ने 2014 में सोशल मीडिया के माध्यम से इलेक्शन कैम्पेनिंग पूरे देश में आम जनता के बीच पहुंचने का काम किया। इसके अलावा राजनीतिक दल एवं नेता अपने समर्थन में फिल्म स्टार और लोक कलाकारों से चुनाव प्रचार कराते हैं। समाचार पत्रों और टीवी में रचनात्मक विज्ञापन देकर मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा लोक-लुभावने नारे दिए जाते हैं, जिसका असर मतदाताओं पर पड़ता है। इससे प्रभावित होकर मतदाता किसी राजनीतिक दल या किसी उम्मीदवार के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

मैनिफेस्टो या घोषणा-पत्र: चुनावों में घोषणा पत्र मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। इसमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में जीतकर अगर हम सत्ता में आएं तो निम्न प्रकार के काम करेंगे। केंब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, "घोषणा पत्र किसी संगठन, विशेषकर राजनीतिक दल की मान्यताओं, उद्देश्यों और नीतियों का एक लिखित बयान होता है।" घोषणा पत्र चुनाव



प्रचार के लिए संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न प्रकार के चुनाव प्रचार माध्यमों के द्वारा मतदाताओं तक पहुंचता है। ऐसे में मतदाता कई राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की तुलना करते हैं। इसके बाद ही किसी दल के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने का मन बनाते हैं। राजनीतिक दल चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार के निर्धारकों से बखूबी परिचित होते हैं। ऐसे में लाभार्थी योजनाओं, कल्याण कार्यक्रमों को इस तरह से बनाते हैं कि जनता के ज्वलंत मुद्दों और दीर्घकालिक वांछनीयताओं को संबोधित कर सकें। जाति, धर्म, भाषा, वर्तमान घटनाएं और स्थानीय मुद्दे जैसे प्रमुख कारक मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ऐसे में घोषणा पत्र बनाते समय राजनीतिक दल इन बातों का खास ध्यान रखते हैं।

2018 विधानसभा चुनाव : कांग्रेस का घोषणा-पत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने 'वचन पत्र' के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें किसानों की कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता और महिला सुरक्षा को लेकर बड़े वादे किए। कांग्रेस ने 112 पन्नों के वचन पत्र में 973 घोषणाएं की, लेकिन पार्टी का मुख्य फोकस 75 घोषणाओं पर रहा। कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा किसानों की 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का रहा। 60 साल की आयु के छोटे किसानों को 1,000 मासिक पेंशन देने का वादा, किसानों को 2 लाख रुपये तक के कृषि उपकरण खरीदने पर 50 फीसदी अनुदान देने की घोषणा। डीजल-पेट्रोल की कीमतों पर छूट, किसानों का बिजली बिल आधा करने का वादा, रसोई गैस पर छूट समेत ये वादे प्रमुख रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1000 करने का वादा। लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये अनुदान देने का वादा। मध्यप्रदेश में विधान परिषद के गठन, युवा बेरोजगारों को 10, 000 प्रतिमाह भत्ता और वकीलों, पत्रकारों के लिए सुरक्षा अधिनियम बनाने का वादा कांग्रेस ने किया। पुलिस फोर्स में महिलाओं को प्राथमिकता और 12वीं कक्षा में सभी टॉपर्स को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया गया।

2018 विधानसभा चुनाव : बीजेपी का घोषणा-पत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के लिए बीजेपी ने 'दृष्टि पत्र' के नाम से घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों का खास ध्यान दिया गया। बेरोजगार युवाओं और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर कई आकर्षक घोषणाएं की गईं। बीजेपी ने हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। गरीब परिवार को पक्का मकान और बिजली मुफ्त में देने का वादा। बैगा एवं भरिया महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता देने का वादा। राज्य में कारीगर यूनिवर्सिटी और फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना का वादा। सरकारी कर्मचारियों को रिझाने के लिए बीजेपी ने नए वेतन आयोग के गठन का वादा किया। व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना का वादा। 12वीं कक्षा में 75 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा और सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा। महिलाओं के लिए जननी एक्सप्रेस की संख्या दोगुनी करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस सेवा देने का वादा, महिला सशक्तिकरण के लिए स्वसहायता



समूहों, तेजस्विनी द्वारा स्वरोजगार को अभियान बनाने का वादा किया। औद्योगिक नौकरियों में 50% पदों में कौशल प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार देने का वादा किया।

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 का परिणाम

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम 2018			
क्र.	राजनीतिक दल	विजयी सीट	वोट प्रतिशत
1	भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)	109	41%
2	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस)	114	40.9%
3	बहुजन समाज पार्टी (बसपा)	02	5.0%
4	समाजवादी पार्टी (सपा)	01	1.3%
5	निर्दलीय	04	5.8%
कुल		230	94%

स्रोत- भारतीय चुनाव आयोग

2023 विधानसभा चुनाव : बीजेपी का घोषणा-पत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने 'संकल्प-पत्र' नाम से घोषणा पत्र जारी किया। इसमें विकास के साथ ही गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को ध्यान में रखकर वादे किए गए। घोषणा-पत्र में मध्यप्रदेश को देश के शीर्ष राज्यों की श्रेणी में लाने का वादा किया गया। गरीब परिवार के बच्चों को 12वीं तक फ्री शिक्षा देने का वादा, लाइली बहनों को 1200 रुपये मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ देने का वादा किया गया। लाइली बहना योजना की राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये महीने करने का वादा किया। पीएम उज्ज्वला व लाइली बहना योजना में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का बीजेपी ने वादा किया। किसानों के लिए एमएसपी के साथ बोनास 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीद की व्यवस्था का वादा किया। पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को वार्षिक 12,000 रुपए देने का वादा किया गया। पांच हॉर्स पावर तक के पंप चलाने पर किसानों को बिजली बिल में 93 फीसदी सब्सिडी का वादा किया। मध्यप्रदेश के लिए जारी संकल्प पत्र में पांच सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन देने का वादा। वहीं तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए प्रति बोरा देने का वादा किया। प्रत्येक संभाग में आईआईटी के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित करने का वादा किया। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के निर्माण का वादा किया। बीजेपी ने रीवा-सिंगरौली को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने का वादा किया। सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता शुरू कराने का बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया।

2023 विधानसभा चुनाव : कांग्रेस का घोषणा-पत्र



मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 'वचन पत्र' के नाम से जारी किया। कांग्रेस के 107 पेज के वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु और 1290 वचन शामिल थे। घोषणा पत्र को 7 वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसके मुख्य 10 बिंदुओं पर नजर डालें तो कांग्रेस ने प्रदेश के हर घर को 365 दिन रोशन रखने के लिए हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने और 200 यूनिट का बिल आधा लेने का वादा किया। नागरिकों को इलाज की सुविधा देने के लिए परिवार का 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराने का वादा किया। महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए 'नारी सम्मान' योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा। महंगाई से राहत देने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा देने का वादा किया। पढ़ो-पढ़ाओ योजना में 500 रुपए से 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा। मेरी बिटिया रानी योजना के तहत बेटियों को 2.51 लाख रुपए का हित लाभ देने का वादा किया। कांग्रेस ने बेटी विवाह योजना में 1 लाख 1 हजार रुपये की मदद देने का वादा किया। दिव्यांग, विधवा और बुजुर्गों की पेंशन को 1200 रुपए करने के बाद के साथ सभी को न्यूनतम आय का अधिकार देने का वादा किया। कांग्रेस की सरकार बनने पर मध्य प्रदेश में आईपीएल क्रिकेट टीम बनाने और इसमें एमपी के अधिक खिलाड़ियों को मौका देने का वादा किया गया।

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम 2023			
क्र.	राजनीतिक दल	विजयी सीट	वोट प्रतिशत
1	भारतीय जनता पार्टी (बीजपी)	163	48.55%
2	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस)	66	40.4%
3	बहुजन समाज पार्टी (बसपा)	00	4.37%
4	समाजवादी पार्टी (सपा)	00	1.57%
5	निर्दलीय	00	0.67%
6	भारत आदिवासी पार्टी ()	01	6.34%
कुल		230	100%

स्रोत- भारतीय चुनाव आयोग

निष्कर्ष

मतदान व्यवहार को कई तरह के कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें जाति, धर्म, भाषा, तात्कालिक घटनाएं, राजनीतिक दल और पार्टी के चुनाव प्रचार का खासा असर देखने के लिए मिलता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों और घोषणाओं का मतदाता से सीधा संबंध होता है। यह बात मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 और 2023 के बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों के अध्ययन और चुनाव परिणाम के



विश्लेषण से स्पष्ट होती है। 2018 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की किसानों की 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी और कृषि उपकरणों की खरीद में 50 फीसदी तक की छूट के वादे ने कांग्रेस के पक्ष में रुख मोड़ दिया और छोटे से लेकर बड़े किसान परिवारों ने कांग्रेस को वोट दिया, जिससे राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में किये गए वादे और उसके पहले मध्यप्रदेश में लाइली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1200 रुपये प्रति महीने देने का असर यह हुआ कि प्रदेश की पिछड़ा, अतिपिछड़ा से लेकर सामान्य वर्ग की महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया और राज्य में बीजेपी की 163 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हुई। घोषणा पत्रों में किए गए वादों और चुनाव से पहले शुरू की गई योजनाओं का मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव में 2018 और 2023 में खास प्रकार का असर देखने को मिला, जिसने मतदाता के मतदान व्यवहार के रुख को मोड़कर रख दिया। राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों में किए गए वादों का असर अलग-अलग वर्गों के मतदाताओं के मतदान व्यवहार में पड़ा। लेकिन दोनों चुनावों में एकाध योजनाएं या घोषणाएं ऐसी रहीं, जिसका असर पूरे राज्य के एक बड़े वर्ग पर पड़ा, जिससे किसी एक पार्टी को चुनाव में जीत मिली। 2018 में किसानों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, वहीं 2023 में महिला मतदाताओं ने एक दम से चुनाव का रुख मोड़ दिया और बीजेपी की सरकार बना दी। इन दोनों चुनावों में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जाति, धर्म, भाषा, तत्कालिक घटनाएं, चुनाव प्रचार से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त की योजनाओं की घोषणा या फिर सरकार के द्वारा शुरू की गई लोक कल्याणकारी मुफ्त योजनाओं का असर मतदान व्यवहार को बहुत अधिक पड़ता है। मुफ्त की योजनाएं राजनीतिक दल के पक्ष में भारी वोट जुटाने और उसे सत्ता में स्थापित करने का काम करती हैं। अध्ययन से पता चलता है कि राजनीतिक दल घोषणा पत्र तैयार करने लिए विशेषज्ञों की मदद लेते हैं, जिससे कि घोषणा पत्र में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Kumar, S., (2021). Elections in India: An Overview. United Kingdom. Taylor & Francis.
2. Kumar, S. & Rai, P., (2013). Measuring Voting Behaviour in India. SAGE Publications.
3. S. K., (2014). Indian Youth and Electoral Politics. Sage Publication.
<https://doi.org/10.1080/09584935.2015.1063202>
4. Jena, B. B., & Baral, J. K. (1989). Election politics and voting behaviour in India: A Study of Orissa.
5. Kothari, R., (2015) Politics in India. Orient Blackswan, New Delhi.
<https://doi.org/10.1080/09584935.2015.1063202>



6. Chaturvedi, S. K., (2015). Indian youth and electoral politics: an emerging engagement. *Contemporary South Asia*, 23(3), 361–362.
<https://doi.org/10.1080/09584935.2015.1063202>
7. Ghai, U.R., (2008). *Indian political system: Party system and election system*, New Academic Publishing Company.
8. Rani, D. *Determinants of Voting Behaviour*. Consultant, Faculty of Political Science, SOSS, IGNOU, New Delhi.
9. CPR. (2022). *Promises That Matter to Indian Democracy: A Study of Election Manifestos Since 1952*. in the Centre for Policy Research, Published in September 2022 New Delhi. Doi-Promises That Matter to Indian Democracy: A Study of Election Manifestos Since 1952 - CPR (cprindia.org)
10. E, B.(2023). एमपी की सियासत में कास्ट फैक्टर क्यों है हावी, किस पार्टी का कहां है दबदबा, 2018 के चुनाव से बीजेपी ने क्या सीखा सबक? <https://www.etvbharat.com>. <https://www.etvbharat.com/hindi/madhya-pradesh/state/bhopal/mp-elections-2023-political-equation-of-castes-in-madhyapradesh-voters-of-which-caste-will-decide-goverment/mp20231117094616221221577>.
11. E, B.(2023). जाति ही पूछो प्रत्याशी की! एमपी चुनाव में भी जातिगत समीकरण सरकार के प्रदर्शन पर भारी. <https://www.etvbharat.com>. <https://www.etvbharat.com/hindi/madhya-pradesh/state/bhopal/mp-elections-2023-caste-equations-weigh-heavily-on-government-performance-caste-census-politics/mp20231116182728668668874>.
12. BJP Manifesto Madhya Pradesh Assembly Elections 2018
13. Congress Manifesto Madhya Pradesh Assembly Elections 2018
14. BJP Manifesto Madhya Pradesh Assembly Elections 2023
15. Congress Manifesto Madhya Pradesh Assembly Elections 2023
16. भारत में मतदान व्यवहार: एक समग्र अवलोकन. <https://byjus.com/>. <https://byjus.com/ias-hindi/voting-behaviour-in-hindi/>
17. ए, डी. (2023). मतदान व्यवहार का अर्थ एवं परिभाषा. edugurujiworld.com.
<https://edugurujiworld.com/voting-behaviour-in-india/> (Published on 26 November 2023).
